अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांकः– अविप्रा/आयोजना/सचिव/2021/792–794

दिनांकः–01.11.2021

बैठक कार्यवाही विवरण

राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में जारी आदेश क्रमाक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021/मं.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु सं. 28 वर्णित निकायों में शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुक्रम में दिनांक 01.11.2021 सोमवार को सांय 4:00 बजे आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई । बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुयेः–

1. सचिव, अविप्रा, अजमेर
2. निदेशक आयोजना अविप्रा, अजमेर
3. निदेशक अभियांत्रिकी अविप्रा, अजमेर
4. उपायुक्त उत्तर, अविप्रा, अजमेर
5. उपायुक्त दक्षिण, अविप्रा, अजमेर
6. विशेष आमंत्रित निदेशक विधि अविप्रा, अजमेर
7. विशेष आमंत्रित निदेशक वित्त अविप्रा, अजमेर

बैठक में निदेशक आयोजना ने बैठक प्रारंभ करते हुये भू–पट्टी (खांचा भूमि) आवंटन के 4 प्रकरण एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार विचारार्थ रखें –

प्रकरण संख्या 1:–

बैठक में निदेशक आयोजना ने अवगत कराया कि प्रार्थी श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री सत्येश्वर प्रसाद जी शर्मा द्वारा कोटड़ा के भूखण्ड संख्या 1557 आवंटित क्षेत्रफल 175.50 वर्गमीटर के अतिरिक्त क्षेत्रफल का भू–पट्टी आवंटन हेतु आवेदन किया गया हैं। जिसमें कोटड़ा क्षेत्र की योजना मानचित्र में उक्त प्लॉट के लगते हुए नाले हेतु लगभग 0.80–1.0 मीटर चौड़ी पट्टी दर्शाई गई थी। मौके पर भूखण्ड संख्या 1558 निर्मित हैं। योजना मानचित्र मे दर्शाये गये नाले की स्थिति कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट के अनुसार चैनलाइज कर दिया गया हैं। उक्त के क्रम में भूखण्ड संख्या 1557 के समीप 2 फीट की भू–पट्टी शेष रहती हैं। आवेदित भू–पट्टी का नाप लगभग 0.6 मीटर X 19.5 मीटर हैं (क्षेत्रफल 11.7 वर्गमीटर) प्राप्त होता हैं।

उक्त के क्रम में भू–पट्टी आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः– समिति ने प्रकरण पर विचारविमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय किया कि योजना मानचित्र में खोंचा भूमि स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से सबंधित कनिष्ठ अभियंता एवं एटीपी मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें। प्रकरण जांच रिपोर्ट के साथ अगली बैठक मे रखा जावें।

प्रकरण संख्या 2:–

बैठक में निदेशक आयोजना ने अवगत कराया कि श्री धर्मेन्द्र आहुजा पुत्र स्व. दयालदास आहुजा द्वारा पंचशील नगर के भूखण्ड संख्या B–12 ई. डब्लयु.एस आवंटित क्षेत्रफल 50 वर्गगज के अतिरिक्त क्षेत्रफल का भू–पट्टी आवंटन हेतु आवेदन किया गया हैं। जिसमें उक्त भू–खण्ड से लगते हुए क्षेत्रफल 17.24 वर्गगज भूमि भू–पट्टी नहीं है, उक्त भूमि योजना मानचित्र अनुसार कियोस्क हेतु आरक्षित हैं।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः– समिति द्वारा विचारविमर्श कर उक्त भूमि योजना मानचित्र अनुसार कियोस्क हेतु आरक्षित होने से प्रकरण को खारिज करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार प्रार्थी को सूचित किया जावें।

प्रकरण संख्या 3:–

बैठक में निदेशक आयोजना ने अवगत कराया कि अविप्रा की पंचशील नगर योजना के ई.डब्ल्यू.एस हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या B–20, B–21, B–26, B–27 के मध्य स्थित भू–पट्टी क्षेत्रफल 50.35 वर्गगज प्राप्त होती हैं। उक्त भूमि को पहुँचमार्ग 30 फीट चौड़ी सड़क से प्राप्त होता हैं। प्रकरण में उक्त भूमि के आवंटन हेतु निम्न आवंटियों द्वारा आवेदन किया गया हैः–

1. श्री कमल कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार — भूखण्ड सं. B–26
2. कुमारी लिपिका दे विश्वास पुत्री श्री प्रदीप कुमार दे विश्वास — भूखण्ड सं B–21
3. कुमारी भारती आहुजा पुत्री श्री राधाकिशन आहुजा — भूखण्ड सं. B–20

प्रकरण में उक्त भू–पट्टी हेतु तीन आवेदन प्रकियाधीन हैं। अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः– समिति द्वारा विचारविमर्श कर, उक्त भूमि योजना मानचित्र अनुसार भू–पट्टी क्षेत्रफल 50.35 वर्गगज प्राप्त होती हैं। उक्त भूमि को पहुँचमार्ग 30 फीट चौड़ी सड़क से प्राप्त होता हैं, अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भूमि को नियमानुसार नीलामी/ओपन ऑक्शन हेतु रखा जावें। तथा प्रभारी अधिकारी नीलामी से पूर्व सबंधित

Scanned with CamScanner

प्रार्थीयों को सूचित करेगें। सबंधित कनिष्ठ अभियंता पडौस वाले मकान से दमदमा/खिडकी इत्यादि अतिक्रमण इस नीलामी वाले भूखण्ड की तरफ से हटवायेगें।

प्रकरण संख्या 4:–

बैठक में निदेशक आयोजना ने अवगत कराया कि प्रार्थी श्री यादराम पुत्र श्री झोलीराम द्वारा भूखण्ड संख्या 91 क्षेत्रफल 52.08 वर्गगज एवं भूखण्ड संख्या 92 क्षेत्रफल 52.08 वर्गगज जादूगर कॉलोनी कच्ची बस्ती अजमेर में संयुक्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। संयुक्तीकरण पश्चात् भूखण्ड का क्षेत्रफल कुल 104.16 वर्गगज प्राप्त होता हैं।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी उपविभाजन एवं पुर्नगठन के संबंध में दिशा निर्देशों में कच्ची बस्तियों में संयुक्तीकरण सें संबंधित निर्देश अंकित नहीं हैं। अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः– बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चुंकि राज्य सरकार द्वारा जारी उपविभाजन एवं पुर्नगठन के संबंध में दिशा निर्देशों में कच्ची बस्तियों में संयुक्तीकरण सें संबंधित निर्देश अंकित नहीं हैं, अतः दिशा निर्देशों के अभाव में प्रकरण खारिज किया जाता है। उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया जावें।

उक्त बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

बैठक अन्त में सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांकः– अविप्रा/आयोजना/सचिव/2021/792–794 **दिनांकः–01.11.2021**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. अति.निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अविप्रा, अजमेर।
2. निदेशक आयोजना को भेजकर के लेख है कि समिति के निर्णयानुसार सबंधित प्रार्थीयों को सूचित करावें।
3. समस्त कमेटी के सदस्यगण अविप्रा, अजमेर।

02/XI

निदेशक आयोजना,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

Scanned with CamScanner